भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3372

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट) संबंधी डेटा

†3372. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) और एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आईआरएडी) प्रणाली का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों' के संबंध में आँकड़े जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सड़क दुर्घटना आंकड़ों (डेटा) के आधार पर दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट) को अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर चिह्नित कुल 16,542 ब्लैकस्पॉट्स में से 14,138 ब्लैकस्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार कार्य किए गए हैं जिसमें सड़क चिह्न, संकेतक, दुर्घटना अवरोधक (क्रेश बैरियर), सड़क स्टड, सीमांकन (डीलिनिएटर), अनधिकृत मध्य मार्ग (मीडियन) के खुले भाग को बंद करना, यातायात को व्यवस्थित करने के उपाय आदि शामिल हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट द्वारा अनुशंसित दीर्घकालिक सुधार उपायों को केवल आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर लागू किया जाता है। तदनुसार, 6,649 ब्लैकस्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपाय जैसे कि सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे के स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि कार्य किए गए हैं, जबकि 4,077 ब्लैकस्पॉट्स का आकलन किया गया है जिन पर दीर्घकालिक सुधार कार्य की आवश्यकता नहीं है।

*****